राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग

कमांक प. 3(1)प्रसु/टाइम्स/2015 जयपुर दिनांक : 08-04-2015

परिपत्र

आमजन की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पटवारी से लेकर उच्चतर अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले दौरे, निरीक्षण, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई एवं उसके निस्तारण हेतु मुख्य सचिव के आदेश क्रमांक प. 3(8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 एवं 01.01.2015 के द्वारा जारी प्रपत्रों का प्रावधान राजस्थान सम्पर्क पर किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, जिला कलक्टर्स, पुलिस अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी अपने दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम निर्धारित मानदण्डों (Norms) के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर सूचनाएं अंकित करेंगे।

सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी, जो वर्तमान में टाइम्स पोर्टल का कार्य देख रहें हैं, वे अपने विभाग के अधिकारियों के निर्धारित लक्ष्य सम्पर्क पोर्टल पर अंकित करते हुए उन्हें समस्त सूचना को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु निर्देशित करेंगे।

सभी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क के लॉगिन व पासवर्ड को उपयोग में लेते हुए दौरों, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की सूचना राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अंकित करेंगे।

उपरोक्त के संबंध में सिस्टम के उपयोग हेतु आवश्यक निम्न स्टेप्स के अुनसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगीः-

1. दिनांक 1 अप्रेल 2015 से समस्त राजकीय विभागों के अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम का विवरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पिछले माह के सभी दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम की सूचना की प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक होगा।
3. 10 तारीख के पश्चात कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा डाटा प्रविष्टि फ्रीज कर दी जायेगी। इसके पश्चात 15 तारीख तक अपने विभागीय नोडल अधिकारी से अनुरोध कर अपने लॉगिन को डिफ्रीज करा सकते हैं।

4. 15 तारीख के पश्चात सिस्टम में पिछले माह किये गये दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के विवरण की प्रविष्टि करना संभव नहीं होगा।
5. अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के संबंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 01.04.2015 से सूचना अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह की समयावधि तक सूचना अंकित नहीं होने पर इसके पश्चात जिन अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम का विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव को अवगत कराया जायेगा।
6. संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकें प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम कर रहे हैं। वे प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा करेंगे।

जिन अधिकारियों के लॉगिन नहीं बने हैं, उनके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) के जिला मुख्यालय पर स्थित उपनिदेशक (ACP) से सम्पर्क कर लॉगिन बनवा लें। राज्य स्तरीय कार्यालयों के लिए श्री अरूण चौहान, संयुक्त निदेशक से उनके मोबाइल नम्बर 9413387349 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2227848 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव/विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/ महानिरीक्षक पुलिस(रेंज)/जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/ मंडल।
7. श्री अरूण चौहान, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव